न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –34/2021(2021/00053)

अनवान : –

भादरसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. बुधराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. प्रभु पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. कलावती पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री श्रवण सहारण । वादी
श्री श्रवण सहारण ।। प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 02/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 87/77 के मुरब्बा न0 24 के किला न0 23, 24, 25, मु0 न0 37 के किला न0 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 21, मु0 न0 38 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 25, मु0 न0 43 के किला न0 1 ता 5 इस प्रकार कुल किता 43 की कुल 10.879 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल के नाम 1/12 हिस्सा, इसी प्रकार रोही मौजा चक 5 एनटीआर के खाता संख्या 165/150 के मु0 न0 38 के किला न0 1, 10, 11, मु0 न0 39 के किला न0 5, 6, 14 ता 17, 24, 25, मु0 न0 42 के किला न0 4 ता 8, 9/2, 12 ता 15, 18/2, 19, 22, मु0 न0 59 के किला न0 2 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल 6.073 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल के नाम 1/3 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा चक 4 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 98/91 के मु0 न0 36 के किला न0 1 ता 6, 15 ता 19, 22 ता 25, मु0 न0 45 के किला न0 5 ता 8, 13 ता 16, 23 ता 25 कुल किता 28 की कुल 7.084 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:26 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा हरीराम की खातेदारी हुआ करती

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

थी। हरीराम से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी रामजीलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रामजीलाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल को वादी के दादा हरीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। खतौनी जमाबन्दी चक 5 एनटीआर सम्वत 2048 के खाता संख्या 110/99 एवं जमाबन्दी खतौनी चक 5 एनटीआर सम्वत 2048 के खाता संख्या 34/33 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2 व 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने ईकबालदावा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 4 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी भादरसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में सदस्यता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नेठराना द्वारा जारी प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 4 बीआरडब्ल्यू सम्वत 2076–79 खाता संख्या 98/91 प्रदर्श 2, जमाबनदी चक 5 एनटीआर सम्वत 2072–75 खाता संख्या 87/77 प्रदर्श 3, जमाबन्दी चक 5 एनटीआर सम्वत 2072–75 खाता संख्या 165/150 प्रदर्श 4, जमाबन्दी चक 5 एनटीआर सम्वत 2048 के खाता संख्या 110/99 प्रदर्श 5, जमाबन्दी चक 5 एनटीआर सम्वत 2048 खाता संख्या 34/33 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। चूंकि चक 4 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 98/91 की कुल 7.084 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल के नाम 1/3 हिस्सा [illegible] में दर्ज भूमि के ऐसे कोई दस्तावेज पेश नही किये है, [illegible] भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:26 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर म[illegible] किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 5 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 87/77 के मुरब्बा न0 24 के किला न0 23, 24, 25,

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मु0 न0 37 के किला न0 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 21, मु0 न0 38 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 25, मु0 न0 43 के किला न0 1 ता 5 इस प्रकार कुल किता 43 की कुल 10.879 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल के नाम 1/12 हिस्सा, इसी प्रकार रोही मौजा चक 5 एनटीआर के खाता संख्या 165/150 के मु0 न0 38 के किला न0 1, 10, 11, मु0 न0 39 के किला न0 5, 6, 14 ता 17, 24, 25, मु0 न0 42 के किला न0 4 ता 8, 9/2, 12 ता 15, 18/2, 19, 22, मु0 न0 59 के किला न0 2 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल 6.073 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 2 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 87/77 के मुरब्बा न0 24 के किला न0 23, 24, 25, मु0 न0 37 के किला न0 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 21, मु0 न0 38 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 25, मु0 न0 43 के किला न0 1 ता 5 इस प्रकार कुल किता 43 की कुल 10.879 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल के नाम 1/12 हिस्सा, इसी प्रकार रोही मौजा चक 5 एनटीआर के खाता संख्या 165/150 के मु0 न0 38 के किला न0 1, 10, 11, मु0 न0 39 के किला न0 5, 6, 14 ता 17, 24, 25, मु0 न0 42 के किला न0 4 ता 8, 9/2, 12 ता 15, 18/2, 19, 22, मु0 न0 59 के किला न0 2 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल 6.073 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी भादरसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 बुधराम, प्रतिवादी संख्या 3 प्रभु को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 1 व 4 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 02/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:26 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़